रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)- 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 336] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 27, 1980/कार्तिक 5, 1902
No. 336] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 1980/KARTIKA 5, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1980

सा०का०नि० 609(अ) :—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कतिपय नियम बनाना चाहती है । जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (1) में अपेक्षित है, प्रस्तावित नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है । इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से जिसको अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, 60 दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी । ऐसे आक्षेप या सुझाव सचिव, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) उद्योग भवन, नई दिल्ली, 110001 को संबोधित करके भेजे जाने चाहिए ।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम—इन नियमों का संक्षिप्त नाम लुगदी, कागज गत्ता और अखबारी कागज विनिर्माण उपकर नियम, 1980 है ।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) अभिप्रेत है ;

(ख) "उपकर" से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत और संग्रहीत उपकर अभिप्रेत है ;

(ग) "कलक्टर" से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उप-कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक कलक्टर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक भी हैं ।

(घ) "विकास परिषद" से कागज और लुगदी के लिए जिसमें कागज उत्पाद भी सम्मिलित है, अधिनियम की धारा 6 के अधीन स्थापित विकास परिषद अभिप्रेत है ;

(ङ) "कागज और गत्ता" से अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष 24 के अन्तर्गत आने वाले कागज, गत्ता और अन्य उत्पादों का विनिर्माण अभिप्रेत है ;

(च) इसमें प्रयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) में या उसके अधीन बनाये गये नियमों में परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और पदों का वही अर्थ है जो उक्त अधिनियम या नियमों में क्रमशः उनके लिए दिया गया है ।

3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का लागू होना—इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जिनके अंतर्गत शुल्क के प्रतिदाय से संबंधित उपबंध भी हैं, यावत्शक्य, उपकर और उदग्रहण और संग्रहण के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस अधिनियम और उसके नियमों के अधीन कागज और गत्ते के विनिर्माणों पर उत्पाद शुल्क के उदग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

4. निर्यात के मद्दे उपकर का कोई प्रतिदाय नहीं भारत से निर्यात किए गए कागज और गत्तों के विनिर्माण पर उपकर का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

5. विवरणियां प्रस्तुत करना—

(1) प्रत्येक विनिर्माता प्रत्येक मास की 10 तारीख को या उसके पूर्व इन नियमों के उपाबंध में विनिर्दिष्ट प्ररूप में पूर्ववर्ती मास के दौरान अपने कारखाने में विनिर्मित और वहां से हटाए गए कागज और गत्ते के विनिर्माण की मदों के बारे स्टाक की विवरणी कलक्टर को या विकास परिषद को प्रस्तुत करेगा ।

(2) यदि कोई विनिर्माता उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है जिसके बारे में कलक्टर या विकास परिषद के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह गलत या त्रुटिपूर्ण है तो कलक्टर या विकास परिषद विनिर्माता पर सूचना की तामील कर सकेगी जिसमें उससे उसके द्वारा उत्पादित कागज और गत्ता विनिर्माणों से संबंधित अपने सभी खातों या किसी खाते को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा ।

6. उपकर के आगम—उपकर के आगम सर्वप्रथम भारत की समेकित निधि में '038—संघ उत्पाद शुल्क—वस्तुओं पर उपकर—कागज' शीर्ष के अधीन जमा किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विधि द्वारा संसद द्वारा किए गए सम्यक, समायोजन के पश्चात् विकास परिषद् को ऐसी राशियां दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे ।

7. खाता खोलना—नियम 6 के अधीन विकास परिषद् को प्राप्त रकम भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोल कर जमा की जाएगी ।

8. विकास परिषद् के लेखे—

(1) विकास परिषद नियम 6 के अधीन उसे प्राप्त रकम के संबंध में सही लेखा रखेगी ।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखा विवरण उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा ।

9. विकास परिषद के बजट प्राक्कलन—

(1) विकास परिषद प्रति वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करेगी और उसे ऐसी तारीखों को या उसके पूर्व जो केन्द्रीय सरकार नियत करे, मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

(2) जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट को मंजूरी नहीं दी जाती, जब तक कोई खर्च नहीं किया जाएगा ।

(3) बजट ऐसे अनुदेशों के जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय समय पर जारी करे, अनुसार तैयार किया जाएगा ।

10. प्रयोजन जिनके लिए उपकर-आगमों का उपयोग किया जाएगा: अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त उक्त धारा के अधीन संग्रहीत उपकर के आगमों का, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगा:

(1) केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान का निर्माण और विकास करने के लिए;

(2) लुगदी, कागज, गत्ता और अखबारी कागज उद्योग के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए,

(3) अन्य अभिकरणों जैसे वन अनुसंधान संस्थान में बहु विधा विषयक समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए विशिष्ट प्रयोजनों वाली अनुसंधान प्रयोगशालाओं में संबद्ध अनुसंधान और विकास कार्यकलापों की सहायता करने के लिए ;

(4) उत्पादन के लिए लक्ष्यों की सिफारिश करने, उत्पादन कार्यक्रमों का समन्वय करने और समय समय पर उनकी प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए ;

(5) अपव्यय दूर करने, अधिकतम उत्पादन अभिप्राप्त करने, क्वालिटी सुधारने और लागत कम करने की दृष्टि से दक्षता के आदर्शों का सुझाव देने के लिए ;

(6) संस्थापित क्षमता के पूर्णतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए और अनुसूचित उद्योग विशेष रूप से कम दक्ष एककों के कार्यकरण का सुधार करने के लिए उपायों की सिफारिश करना ;

(7) बहेतर विपणन के लिए इंतजामों का संप्रवर्तन करने और अनुसूचित उद्योग के उत्पाद के वितरण और विक्रय की पद्धति के उपाय खोजने में ऐसी सहायता करना, जो उपभोक्ता के लिए समाधानप्रद हो ।

(8) उत्पादों के मानकीकरण का संप्रवर्तन करना ;

(9) नियंत्रित सामग्री के वितरण में सहायता करना और अनुसूचित उद्योग के लिए सामग्री अभिप्राप्त करने के लिए इंतजाम का संप्रवर्तन करना ;

(10) सामग्रियों और उपस्कर के बारे में तथा उत्पादन की पद्धति, प्रबंध और श्रम उपयोग के बारे में, जिसके अंतर्गत नई सामग्री उपस्कर और पद्धतियों की खोज तथा विकास और पहले से ही उपयोग में आने वालियों में सुधार भी है, उनमें विभिन्न विकल्पों के फायदों के निर्धारण और प्रायोगिक स्थापनों और वाणिज्यक पैमानों पर परीक्षण का संचालन करने के बारे में जांच संप्रवर्तित करना या कराना ;

(11) अनुसूचित उद्योग में लगे हुए या लगाए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों के प्रशिक्षण और उनसे संबंधित तकनीकी या कलात्मक विषयों में उनकी शिक्षा का संप्रवर्तन करना ;

(12) वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान, औद्योगिक मनोविज्ञान पर प्रभाव डालने वाले विषयों पर अनुसंधान और अनुसूचित उद्योग द्वारा प्रदत्त माल और सेवाओं के उत्पादन और उपभोग या उपयोग से संबंधित विषयों पर अनुसंधान का संप्रवर्तन करना या कराना ;

(13) लेखांकन और लागत निकालने की पद्धति और व्यौहार में सुधार और मानकीकरण का संप्रवर्तन करना ;

(14) आंकड़ों के संग्रह और सूत्रीकरण का संप्रवर्तन करना या कराना ;

(15) श्रम उत्पादकता में अभिवृद्धि करने के लिए उपाय अपनाने को जिनके अंतर्गत सुरक्षित और बहेतर कार्यकारी दशाएं सुनिश्चित करने के लिए उपाय और कर्मकारों के लिए सुख सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों की व्यवस्था और उनमें सुधार भी हैं, संप्रवर्तित करना ;

(16) अनुसूचित उद्योग संबंधी उन विषयों पर (जो पारिश्रमिक और नियोजन की शर्तों से भिन्न हैं) जिनके बारे में केन्द्रीय

सरकार विकास परिषद् से सलाह देने का अनुरोध कर सकती है, सलाह देना और ऐसी सलाह देने के लिए विकास परिषद को समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ जांच करवाना ; और

(xvii) अनुसूचित उद्योग को प्राप्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए और ऐसे विषयों पर सलाह देने के लिए जिनसे विकास परिषद अपने किसी कृत्य का पालन करने में संबद्ध है, इंतजाम करवाना ;

(xviii) ऐसे न्यूनतम प्रशासनिक व्यय पूरे करना जो उसके कृत्यों के निर्वहन में होते हैं । इसके अंतर्गत विकास परिषद् के सदस्यों का यात्रा भत्ता भी है ।

उपाबन्ध
(नियम 5 देखिए)

लुगदी कागज और गत्ता विनिर्माण उपकर नियम, 1980 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली मासिक विवरणी का प्रारूप

.....को समाप्त होने वाला मास

कारखाने का नाम.....

पता .....

सामग्री का आदि अतिशेष		प्राप्त सामग्री		कुल सामग्री		प्रयुक्त कुल सामग्री	
वर्णन	परिमाण	वर्णन	परिमाण	वर्णन	परिमाण	वर्णन	परिमाण
1	1	3	4	5	6	7	8

उपाबन्ध
(नियम 5 देखिए)

उपकार के अधीन माल विनिर्मित		उपकर के अधीन माल हटाया गया		अन्य माल विनिर्मित		अपशिष्ट या नष्ट किया गया माल		अन्त अतिशेष		टिप्पणियां
वर्णन	परिमाण	वर्णन	परिमाण	वर्णन	परिमाण	वर्णन	परिमाण	वर्णन	परिमाण	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

टिप्पण :—1. प्रयुक्त माल के प्रत्येक वर्णन की और उत्पादित परिष्कृत माल के प्रत्येक वर्णन की विशिष्टियां अलग अलग दी जानी चाहिएं ।

2. अपचय और नष्ट होने के लिए कारण "टिप्पणियां" स्तम्भ में दर्ज किए जाने चाहिए ।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने उपरवर्णित विशिष्टियों का अपने कारखाने के रिकार्ड और बहियों से मिलान कर लिया है और ये जहां तक मैं/हम सुनिश्चित कर सकता हूं/सकते हैं, सही और पूर्ण हैं ।

विनिर्माता के हस्ताक्षर

[फा०सं० 3(101)/79-कागज]

बी०आर०आर० अय्यर, संयुक्त सचिव.

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 1980

G.S.R. 699(E).—The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is hereby published, as required by sub-section (1) of that section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of sixty days from the date on which the Gazette containing the said notification is made available to the public.

Any objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft within the period so specified will be considered by the Central Government. Such objections or suggestions should be addressed to the Secretary, Ministry of Industry (Department of Industrial Development), Udyog Bhavan, New Delhi-110001.

DRAFT RULES

1. Short title.—These rules may be called the Pulp, Paper, Paper Board and Newsprint Manufactures Cess Rules, 1980.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) ;

(b) 'Cess' means the cess levied and collected under sub-section (1) of section 9 of the Act ;

(c) 'Collector' means the Collector of Central Excise and includes the Additional Collector of Central Excise, the Deputy Collector of Central Excise, Assistant Collector of Central Excise and Superintendent of Central Excise ;

(d) 'Development Council' means the Development Council for Paper and Pulp, including Paper Products, established under section 6 of the Act ;

(e) 'Paper and Paper Board' means manufacture of paper, paper board, Newsprint and other produucts covered by heading 24 of the First Schedule to the Act ;

(f) words and expressions used herein and not defined but defined in the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) or the rules made thereunder, have the meanings, respectively assigned to them in that Act or the rules.

3. Application of Central Excises and Salt Act and the rules made thereunder.—Save as otherwise provided in these rules, the provisions of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the rules made thereunder including those relating to refund of duty, shall, so far as may, apply in relation to the levy and collection of the cess as they apply in relation to the levy and collection of the duty of excise on paper and paper board manufactures under that Act and the rules.

4. No Refund of Cess on account of Exports.—No refund of cess shall be allowed on the paper and paper board manufactures exported from India.

5. Submission of returns.—(1) Every manufacturer shall submit to the Collector and to the Development Council on or before the 10th of every month a return in the Form specified in the Annexure to these rules of all stocks of items of paper and paper board manufactures manufactured in, and removed from, his factory during the previous month.

(2) If any manufacturer fails to furnish the return within the date specified in sub-rule (1) or furnishes a return which the Collector or the Development Council has reason to believe is incorrect or defective, the Collector or the Development Council may serve notice on the manufacturer calling upon him to produce all or any of his accounts relating to the paper and paper board manufactures produced by him.

6. Proceeds of the Cess.—The proceeds of the cess shall first be credited to the Consolidated Fund of India under the head '038-Union Excise Duties—Cess on Commodities—Paper' and the Central Government may after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, hand over to the Development Council such sums as it may consider necessary.

7. Opening of Accounts.—The amount received by the Development Council under Rule 6 shall be kept in an account with the State Bank of India.

8. Accounts of the Development Council.—(1) The Development Council shall maintain proper accounts relating to the amount received by it under Rule 6.

(2) The audited statement of accounts for every financial year, together with the auditor's report thereon, shall be submitted to the Cenral Government.

9. Budget Estimates of the Development Council :—(1) The Development Council shall in each year prepare a budget for the ensuing financial year and submit the same for sanction to the Central Government on or before such date as may be specified by the Central Government.

(2) No expenditure shall be incurred until the budget is sanctioned by the Central Government.

(3) The budget shall be prepared in accordance with such instructions as may be issued from time to time by the Central Government.

10. Purposes for which the Proceeds of the Cess shall be utilized :—In addition to the purposes specified under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (4) of Section 9 of the Act, the proceeds of the cess collected under the said section may, with the approval of Central Government, also be utilised for the following :

(i) to build up and develop and Central Pulp and Paper Research Institute ;

(ii) to undertake research in the field of the pulp, paper, paper board and newsprint industry ;

(iii) to assist related research and development activities in other agencies such as Forest Research Institute, research laboratories with specific purpose of promoting multi-disciplinary coordinated research projects ;

(iv) recommending targets for production, coordinating production programmes and reviewing progress from time to time ;

(v) suggesting norms of efficiency with a view to eliminating waste, obtaining maximum production, improving quality and reducing costs ;

(vi) recommending measures for securing the fuller utilisation of the installed capacity and for improving the working of the scheduled industry, particularly of the less efficient units ;

(vii) promoting arrangements for better marketing and helping in the devising of a system of distribution and sale of the produce of the scheduled industry which would be satisfactory to the consumer ;

(viii) promoting standardisation of products ;

(ix) assisting in the distribution of controlled materials and promoting arrangements for obtaining materials for the scheduled industry ;

(x) promoting or undertaking inquiry as to materials and equipment and as to methods of production, management and labour utilisation, including the discovery and development of new materials, equipment and methods and of improvement in those already in use, the assessment of the advantages of different alternatives and the conduct of experimental establishments and of tests on a commercial scale ;

(xi) promoting the training of persons engaged or proposing engagement in the scheduled industry and their education in technical or artistic subjects relevant thereto ;

(xii) promoting or undertaking scientific industrial research, research into matters affecting industrial psychology and research into matters relating to production and to the consumption or use of goods and services supplied by the scheduled industry ;

(xiii) promoting improvements and standardisation on accounting and costing methods and practice ;

(xiv) promoting or undertaking the collection and formulation of statistics ;

(xv) promoting the adoption of measures for increasing the productivity of labour, including measures for securing safer and better working conditions and the provision and improvement of amenities and incentives for workers ;

(xvi) advising on any matters relating to the scheduled industry (other than remuneration and conditions of employment) as to which the Central Government may request the Development Council to advise and undertaking inquiries for the purpose of enabling the Development Council so to advise and ;

(xvii) undertaking arrangements for making available to the scheduled industry information obtained and for advising on matters with which the Development Council is concerned in the exercise of any of its functions.

(xviii) defraying such minimum administrative expenses as may be involved in the discharge of its functions including travelling allowance for the Members of Development Council.

(ANNEXURE)
(See Rule 5)

Form of Monthly Return to be submitted under the Pulp Paper and Paper Board Manufactures Cess Rules, 1980.

Month ending .....

Name of Factory .....

Address.....

Opening Balance of Materials		Materials received		Total materials		Total Materials used	
Description	Quantity	Description	Quantity	Description	Quantity	Description	Quantity
1	2	3	4	5	6	7	8

Goods, subject to Cess manufactured		Goods, subject to Cess removed		Other goods manufactured		Materials wasted or destroyed		Closing Balance		Remarks
Description	Quantity	Description	Quantity	Description	Quantity	Description	Quantity	Description	Quantity	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Note :— 1. Separate particulars of each description of materials used and of each description of finished goods produced should be given.

2. The reason for wastage and destruction should be entered in the 'Remarks' column.

I/We declare that I/we have compared the above shown particulars with the records and books of My/our factory and that they are, in so far as I/We can ascertain, accurate and complete.

Date .....

Signature of Manufacturer.
Sd/-
[F. No. 3(101)/79-Paper]
B.R.R. IYENGAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980